उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1

संख्या-03/2017/2459/80-1-2017-78/2014

लखनऊ दिनांक- 01 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा-40 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तेइसवॉ संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम

1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तेइसवॉ संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

नियम-67 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 67 में, लाइसेंस निर्गत किये जाने और उसके नवीकरण हेतु शुल्क की सारणी में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड 6 की प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी

अर्थातः-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम				स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम			
67	लाइसेन्स का वर्ग	लाइसेन्स का विवरण	लाइसेन्स शुल्क	67	लाइसेन्स का वर्ग	लाइसेन्स का विवरण	लाइसेन्स शुल्क
	6	थोक व्यापारी-सह-आढ़तिया, या थोक व्यापारी, या आढ़तिया के लिए एकीकृत लाइसेन्स	1,00,000		6	थोक व्यापारी- सह-आढ़तिया, या थोक व्यापारी, या आढ़तिया के लिए एकीकृत लाइसेन्स	10,000

नियम-68 का संशोधन

3.उक्त नियमावली में, नियम 68 में, स्तम्भ 1 मे दिये गये उप नियम(4) के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(4) मण्डी शुल्क तथा लाइसेन्स शुल्क आदि का भुगतान मण्डी समिति को नगद अथवा विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा।	(4) मण्डी शुल्क तथा लाइसेन्स शुल्क आदि का भुगतान मण्डी समिति को नगद या डिटिजल पेमेन्ट अथवा विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।